बिहार सरकार

हिन्दुस्तान
03-06-14
(Page 20)

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) से संबंधित प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के सर्वेक्षण का आधार क्या है?
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सर्वेक्षण का मुख्य आधार वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा करायी गयी राष्ट्रीय जनगणना है। राष्ट्रीय जनगणना में शामिल सभी परिवार इसमें शामिल किये गए हैं।

2. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा कार्य चल रहा है।
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के अंतर्गत सर्वेक्षणोपरांत सभी 38 जिलों में प्रारुप सूची का प्रकाशन कराया जा चुका है। प्रकाशित प्रारुप सूची पर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन एवं उसकी ऑन लाईन प्रविष्टि का कार्य चल रहा है।

3. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की निष्पादन की अद्यतन स्थिति क्या है?
- राज्य में (SECC) के प्रारुप सूची के प्रकाशन के बाद अब तक कुल 44,22,575 दावा/आपत्ति आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- कुल प्राप्त आवेदनों में 15958 आवेदन आपत्ति से संबंधित, 13,56,407 आवेदन त्रुटि सुधार से संबंधित तथा 11,12,801 आवेदन नाम जोड़े जाने से संबंधित है।
- अब तक कुल 20,14,098 आवेदन निष्पादित हो चुके है तथा अवशेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है।

4. दावा/आपत्ति आवेदनों के निष्पादनोपरांत (SECC) में कौन सी कार्रवाई की जानी है?
दावा/आपत्ति आवेदनों के निष्पादनोपरांत आवश्यकतानुसार सुधार कर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की अंतिम सूची प्रकाशित की जायेगी। जिसमें गलत नाम की प्रविष्टि/नाम में त्रुटि/नाम छूटे होने की शिकायत लगभग समाप्त हो जायेगी।

5. क्या अंतिम सूची में प्रकाशन के बाद भी छुटे हुए व्यक्तियों/परिवारों का नाम जोड़ा जा सकेगा?
सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद भी यथार्थ में छुटे हुए व्यक्तियों/परिवारों के नाम जोड़ने की कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन की मांग की गयी है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसके आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

6. इस सूची का क्या उपयोग संभावित है?
तत्काल इस सूची का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों के चयन हेतु किया जा रहा है। भविष्य में इसी सूची से बी.पी.एल. सूची का निर्माण किया जाना है।

(SECC) से संबंधित और अधिक जानकारी
टॉल फ्री नं.-18001208001
पर भी ली/दी जा सकती है।

श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

PR-1758 RDD 2014-15